कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2291 /FP/UK/ROAD/45386/2020 :देहरादूनः 28 मार्च, 2022.

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा–सरौली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु 0.2625 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/45386/2020)

संदर्भः– अपर सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 574/X-3-21/1(58)/2021 दिनांक 04.06. 2021.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1353/12–1 दिनांक 18.01.2022 (प्रति सलंग्न) के द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

S.N.	Observation	Compliance
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण व 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण व 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (संलग्न–1)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा कर दी गयी है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत किया गया हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्न–2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–1100033 में जमा करने के उपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा	बिन्दु संख्या (4) के अनुपालन में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि शर्त संख्या 1 एवं 2 में ऑनलाईन पोर्टल में हस्तान्तरित/जमा करा दी गयी है।

	धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्न–3)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया गया है।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को संलग्न की गया है। **(संलग्न–4)**.
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित हैं।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार मान्य होगा। **(संलग्न–5)**
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण समतल भूमि में मिट्टी भरान कर किया जाना है, इसलिए उक्त मार्ग निर्माण हेतु न ही मक डम्पिंग योजना बनाने की जरूरत है और न ही डिस्पोजल प्लान बनाने की आवश्यकता है। **(संलग्न–6)**
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है। **(संलग्न–7)**

अतः विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नः–यथोपरि</u>

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या :– 2291 / FP/UK/ROAD/45386/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन सरंक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(हस्ताक्षर)
(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

O/C